



Development & Panchayats Department Haryana

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

Haryana Panchayat Bhawan, Plot No.3, Sector-28A, Chandigarh-160026
(Phone)0172- 2640430, 2650072 (Ext. 229)



आदेश

उपायुक्त, सोनीपत के पत्र क्रमांक 1465/पंचायत दिनांक 24.02.2025 द्वारा की गई सिफारिश अनुसार ग्राम सलीमपुर ट्रॉली, खण्ड व जिला सोनीपत के सरपंच को सरपंच पद से पदच्युत करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत की सम्पत्ति के रख-रखाव तथा ग्राम वासियों के हित में व ग्राम पंचायत के कार्य को सुचारु से चलाने के लिये खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत को नये सरपंच के चुनाव तथा आगामी आदेशों तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 49 में वर्णित प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत सलीमपुर ट्रॉली का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
24.03.2025

अमित कुमार अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए० 2-2025/ 16110-115

दिनांक : 02-04-25

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, सोनीपत को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 1465/पंचायत दिनांक 24.02.2025 के संदर्भ में।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सोनीपत।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।
- ✓ 5. कार्यकारी अभियन्ता, (आई०टी०) मुख्यालय को विभागीय की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करवाने हेतु।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।

Mohit


02/04/2025
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत
विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।